Though suggestions have been made for having more internal evaluation, such Committees have not in general recommended the abolition of public examinations altogether. Even the Education Commission which looked into this question has recommended a common examination at the end of the primary stage at the district level and external public examinations at the end of the secondary course. National Policy on Education set out in 1968, has also said that a major goal of examination reforms should be to improve the reliability and validity of examinations and to make evaluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement rather than at certifying the quality of his performance at a given moment of time.

Public Examination in Bihar

2380. SHRI K. M. MADHUKAR: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether the National Council for Educational Research and Training studied the problems concerning public examination in Bihar; and

(b) if so, what are the main findings?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय थोक भण्डार

2381. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय थोक भंडारों के कार्यकरण की देख-रेख सहकारी विभाग करता है ;

(ख) देश में कुल कितने केन्द्रीय थोक भण्डार है तथा उनमें सरकार ने कितनी पूंजी लगा रखी है और क्या उपरोक्त जानकारी सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या इन भण्डारों को गत तीन वर्षों में आज तक हुए लाभ तथा हानि का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार अन्य सहकारी समितियों की तरह अपने-अपने राज्यों के सहकारी सोसायटी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाते हैं। इन सहकारी समितियों के कार्यकरण के बारे में सांविधिक तथा प्रशासनिक शक्तियों जिनमें लेखा-परीक्षा, पर्यवेक्षा, निरीक्षण, प्रबन्ध का अधिक्रमण, समितियों का परिसमापन आदि भी सम्मिलित है, सम्बन्धित राज्य सरकारो में निहित होती है। तथापि कार्यक्रम के भावी विकास तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी सहायता के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा सरकारों को सुलभ किए जाते हैं। यह इस बारे में अपनायी गई केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त है।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख)(i) केन्द्रीय/थोक सहकारी भण्डारों की संख्या (जून, 1970 के अंत में) — 383

(ii) प्रदत्त अंशपूंजी — 1076.22 लाख रुपए

(iii) इसमें से सरकार का अंशदान — 700.90 लाख रुपए

(ग) केन्द्रीय/थोक सहकारी भण्डारों द्वारा कमाया गया लाभ तथा उठाई गई हानि*

ब्यौरा	1967-68	1968-69	1969-70
	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०
लाभ	81.40	66.88	68 45
हानि	141.94	171.42	337.02

टिप्पणी : *यह सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आधुनिकतम उपलब्ध आकड़ों पर आधारित है।